



बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

आवश्यक सूचना-सह-शुद्धि पत्र

प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा  
(विज्ञापन संख्या-24/2024)

बिहार अधिनियम 19/2023 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षित वर्गों के लिए संशोधित आरक्षण प्रतिशत के सम्बन्ध में दायर CWJC No.-16760/2023, गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.06.2024 को आदेश पारित करते हुए नयी आरक्षण नीति को रद्द कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) No. 014086/2024 एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाई की जाय।

तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा पूर्व प्रवृत्त आरक्षण के अनुसार उपलब्ध कराई गई संशोधित रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई आरक्षण कोटिवार रिक्ति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	कोटि	पूर्व में अनुमान्य पदों संख्या		संशोधित अनुमान्य पद	
		कोटिवार रिक्तियों की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्तियों की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	81	28	135	47
2.	अनुसूचित जाति	68	24	53	19
3.	अनुसूचित जनजाति	07	02	04	01
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	86	30	60	21
5.	पिछड़ा वर्ग	44	15	24	08
6.	पिछड़े वर्ग की महिला	00	00	10	00
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	32	11	32	11
कुल पद		318	110	318	107

कोटि	पूर्व में अनुमान्य पद	संशोधित अनुमान्य पद
स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए अनुमान्य पद	06	06

क्षैतिज आरक्षण के तहत दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए अनुमान्य पद		
दिव्यांगता	पूर्व में अनुमान्य पद	संशोधित अनुमान्य पद
दृष्टि बाधित (VI)	03	03
मूक बधिर (DD)	03	03
अस्थि दिव्यांग (OH)	03	03
मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग (MD)	03	03

*16-11-2024*

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना